

शोध में साहित्य का सर्वेक्षण

दलबीर सिंह सकलानी, Ph. D.

जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी, जिला- हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) 176045



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

शोध, खोज, अनुसंधान, अन्वेषण, आविष्कार, गवेषणा सभी हिन्दी भाषा में पर्यायवाची शब्द हैं। इसी को मराठी में संशोधन व अंग्रेजी में 'रिसर्च' कहते हैं। खोज में सर्वथा नूतन सृष्टि का नहीं, अज्ञात को ज्ञात करने का ही भाव है। मनुष्य बुद्धि सम्पन्न प्राणी होने के कारण अपनी सचेतावस्था में ही जिज्ञासु रहता है। वह 'अहम्' आत्मा, 'इदम्' सृष्टि या जगत् और 'सः' ब्रह्म या परमात्मा को जानने के लिए पर्युत्सुक रहता है। जगत् में वह क्यों है? जगत ही क्यों है? मुझे व जगत् को यहाँ लाने वाला कौन है? मेरा और जगत् का परस्पर क्या सम्बन्ध है, आदि प्रश्न मानव मन को झकझोरते रहते हैं। मानव के ज्ञान की पिपासा कभी तृप्त नहीं हुई है। मानव की इसी अतृप्ति ने अनेक भौतिक तथा आध्यात्मिक रहस्यों को तथ्य रूप प्रदान कर मानव की ज्ञान-सम्पदा में लगातार अभिवृद्धि की है। बहुत सा ज्ञान सहज-इन्द्रियगम्य है और कुछ ऐसा भी है जो सहज-इन्द्रियगम्य नहीं है, परन्तु उसके अस्तित्व को एकदम नकारा भी नहीं जा सकता है।

ज्ञान के क्षेत्र में शोध का कार्य निरन्तर जारी रहता है। शोध ज्ञान की किसी एक सीमा तक पहुँचकर रुक नहीं जाता है, वह आगे बढ़ता ही जाता है। एक समय में भारतीय पुराणों के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों की धारणा थी कि वे पंडितों के कल्पना विलास-मात्र और भोली-भाली जनता को धर्माविश्वासी बनाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं। परन्तु पर्जीटर जैसे सत्यानुरागी शोधकर्ताओं ने उनमें अनेक ऐतिहासिक तथ्य खोजकर उनका महत्व प्रतिपादित किया है। अथर्ववेद में पुराणों को सृष्टि-रचना के ग्रन्थ कहा गया है। वेदों के सम्बन्ध में भी पाश्चात्य विद्वानों की भ्रान्तिपूर्ण धारणा थी परन्तु मैक्समूलर जैसे शोधकर्ताओं ने उसमें एक समृद्ध ज्ञान का भण्डार खोज निकाला और आर्य जाति की विचारगरिमा का उद्घाटन किया।

संबंधित शोध साहित्य का सर्वेक्षण

सर्वेक्षण अनुसन्धान आज से लगभग सात दशक पूर्व प्रारम्भ हुआ और तब से अब तक प्रायः सभी विकासशील देशों में सर्वेक्षण करने वाली समितियों एवं संस्थाओं का गठन अत्यन्त द्रुतगति से हुआ है। इसके तहत समग्र का चुनाव सर्वेक्षण के उद्देश्यों पर निर्भर करता है।

सर्वेक्षण के तहत वास्तविक परिस्थिति से सम्बन्धित तथ्यों का शीघ्रता एवं शुद्धतापूर्वक आकलन मुख्य मुद्दा होता है। इसमें आधार-सामग्री संकलन करने हेतु समग्र से चुना हुआ प्रतिदर्श अपेक्षाकृत बड़ा रखा जाता है। सर्वेक्षण में व्यक्ति की अपेक्षा सामान्यीकृत तथ्यों, परिस्थितियों एवं गणनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। कर्लिजर के मतानुसार, “सर्वेक्षण शोध वैज्ञानिक अन्वेषण की वह विधि है जिसके तहत बड़े या छोटे आकार वाले समग्रों से चुने हुए प्रतिदर्शों के आधार पर इस प्रयोजन से अध्ययन किया जाता है कि चरों के घटित होने की आवृत्ति, उनके वितरण एवं पारस्परिक सम्बन्धों का निर्धारण किया जा सके।”¹ इस प्रकार के अनुसन्धान में प्रतिदर्श से प्राप्त आधार सामग्री के माध्यम से समग्र तक सामान्यीकरण करने की कोशिश होती है।

संबन्धित शोध साहित्य के सर्वेक्षण से अभिप्राय समस्या से सम्बन्धित पूर्व में किये गये शोध या अनुसंधान कार्यों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से संग्रह एवं संगठन करके समीक्षा करने से है। इस प्रकार के शोध या अनुसंधान का समीक्षात्मक अध्ययन करने से, किये जाने वाले शोध कार्य को और अधिक व्यापक, उपयोगी व आकर्षक बनाया जा सकता है।

प्रस्तुत अध्याय में शोधकर्ता द्वारा समस्या से सम्बन्धित शोध साहित्य का सर्वेक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

दास (1969) ने असम राज्य में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अपव्यय एवं अवरोधन का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अपव्यय व अवरोधन की दर उच्च है, बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अपव्यय व अवरोधन की दर अधिक है, प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन की औसत दर 77.12 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर यह 38.45 प्रतिशत है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की सम्पूर्ण अपव्यय एवं अवरोधन की दर 80.56 प्रतिशत से लेकर 86.31 प्रतिशत के बीच में रही है।

दास (1975) ने असम राज्य के मैदानी भागों में स्थित जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक अपव्यय का तुलनात्मक अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि शहरी, उपशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण शैक्षिक अपव्यय क्रमशः 63.2 प्रतिशत, 71.5 प्रतिशत और 77.9 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में सम्पूर्ण अपव्यय की दर उपशहरी क्षेत्रों के विद्यालयों की अपेक्षा अधिक है। इसी प्रकार उपशहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में सम्पूर्ण अपव्यय की दर शहरी क्षेत्र के विद्यालयों की अपेक्षा उच्च है। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों का प्रतिशत उपशहरी क्षेत्र में, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक था।

देवी (1985) ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में “अनुसूचित जाति के छात्रों की प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति में अवरोध” विषय पर अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि अनुसूचित जातियों व अन्य हिन्दू जातियों के बच्चे जो विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके उपलब्धि स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। विद्यालयों की दशा असन्तोषजनक, शिक्षक-छात्र-अनुपात बहुत निम्न, शिक्षक बहुत कम योग्य और कम प्रशिक्षित थे। शिक्षकों द्वारा प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधियाँ अनुसूचित जाति के छात्रों के अनुकूल नहीं थी और अध्यापक अपने कर्तव्यपालन के प्रति गम्भीर नहीं हैं। अनुसूचित जाति के बच्चों के प्रति कोई पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं पाया गया यद्यपि वे जितना कार्य कर रहे हैं उससे अधिक प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रेरित नहीं किया गया। अधिकतर बच्चे कमजोर दृष्टि एवं खराब स्वास्थ्य से पीड़ित पाये गये।

लिण्डम (1985) ने एन.ई.एच.यू. में “स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से मेघालय राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु चलायी गयी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समीक्षात्मक अध्ययन” विषय पर शोध कार्य किया और निष्कर्ष निकाला कि प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे- नये विद्यालयों की स्थापना, शिक्षकों की संख्या व छात्रों के नामांकन में प्रगति थी। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों के लिए जिला परिषद् को वित्तीय सहायता की मंजूरी में प्रगति थी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने हेतु मेघालय सरकार ने बहुत से विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू किया लेकिन कुछ कार्यक्रम केवल कुछ ही विद्यालयों में लागू किये जा सके।

राय (1987) ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में “गाजीपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का सर्वेक्षण” विषय पर शोध कार्य किया और निष्कर्ष निकाला कि सभी प्राथमिक विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे और प्रत्येक गांव में प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्राम समितियां थी। प्रत्येक विद्यालय के लिए औसत अध्यापकों की संख्या चार थी। उस समय बीस हजार की जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध था। प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की औसत संख्या लगभग 216 थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 79.85 प्रतिशत लड़के और 20.17 प्रतिशत लड़कियाँ पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित थे। जिले की औसत साक्षरता का प्रतिशत 25.96 प्रतिशत था, जिसमें पुरुष साक्षरता 39.82 प्रतिशत व महिला साक्षरता 12.4 प्रतिशत थी। बेसिक शिक्षा समिति के अन्तर्गत चलाए जा रहे प्राथमिक विद्यालयों में से 87 प्रतिशत विद्यालयों के भवन निर्माण की अवस्था में थे। इस जिले की जनसंख्या की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। विद्यालयों के अध्यापकों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का स्पष्ट अभाव देखने को

मिला। इन विद्यालयों में कार्यरत 43 प्रतिशत शिक्षक केवल कक्षा-10वीं तक की ही शिक्षा पूरी किये हुए थे। इन प्राथमिक विद्यालयों में आन्तरिक मूल्यांकन प्रचलित था और 90 प्रतिशत बच्चे लिखने के लिए खड़िया मिट्टी का प्रयोग करते थे तथा 68 प्रतिशत छात्र स्कूल के समय में फर्श पर बैठते थे।

गुप्ता एवं श्रीवास्तव (1989) ने एन.सी.ई.आर.टी के स्वतन्त्र अध्ययन में “शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अपव्यय एवं अवरोधन का प्रतिचयनात्मक अध्ययन” विषय पर शोध कार्य किया और निष्कर्ष निकाला कि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्तर पर कुल अपव्यय दर 60 प्रतिशत से अधिक थी जबकि उड़ीसा (ओडिसा), असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में यह दर 50 प्रतिशत से कम थी तथा मध्य प्रदेश के सन्दर्भ में यह 58 प्रतिशत के आस-पास थी। जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में अन्य समुदायों के बच्चों की अपेक्षा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चों में अपव्यय दर अधिक थी। जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा (ओडिसा) तथा राजस्थान में 60 प्रतिशत बच्चों ने बिना दुहराये शिक्षा का चक्र पूर्ण कर लिया जबकि आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार व पश्चिम बंगाल में केवल 33 प्रतिशत बच्चों ने ही शिक्षा के चक्र को पूर्ण करने में सफलता प्राप्त की।

पक्कियम (1990) ने अलगप्पा विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में एम.फिल. करते समय “थीरूमंगन जिले के सक्कोटै पंचायत यूनियन पासुपान थेवर में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के कार्यान्वयन का एक अध्ययन” विषय पर शोध कार्य किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पंचायत यूनियन के 83 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की बड़े स्तर पर अपर्याप्तता पायी गयी। सभी प्राथमिक विद्यालयों में दो या दो से अधिक अध्यापक पाये गये। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सभी वस्तुओं का प्रयोग प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अत्यधिक मात्रा में किया गया। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक निजी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की तुलना में अध्यापन सामग्री का प्रयोग अधिक मात्रा में करते थे।

रोका, रस्तोगी एवं वर्मा (1990) ने यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त एक अध्ययन “प्राथमिक शिक्षा तक एक बोधगम्य पहुँच” विषय पर शोध किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर के लिए सीखना, प्रशिक्षण और मूल्यांकन का एक पूर्ण पैकेज तैयार किया जाना चाहिए जिसे बाद में हिन्दी भाषा व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अन्य राज्यों के लिए व्यापक स्तर पर मुद्रित किया जाना चाहिए। सीखने के केन्द्रों पर प्रयोग की गयी सीखने की सामग्रियों से न

केवल बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने में सफलता मिलती है बल्कि यह छात्रों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी लाभप्रद है।

गुप्ता एवं गुप्ता (1992) ने एन.सी.ई.आर.टी के स्वतन्त्र अध्ययन “ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सामग्रियों के अत्यधिक मात्रा में प्रयोग का अध्ययन - प्रथम अवस्था का प्रतिवेदन” विषय पर अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 21.6 प्रतिशत विद्यालयों में दो अध्यापक, 42 प्रतिशत विद्यालयों में दो से अधिक अध्यापक कार्यरत थे। अध्ययन में सम्मिलित किये गये विद्यालयों में से 20.4 प्रतिशत में दो अध्यापकों में एक महिला अध्यापक तथा 42 प्रतिशत विद्यालयों में दो से अधिक अध्यापकों में कम से कम एक महिला अध्यापक थी। विद्यालय की उपलब्ध सामग्रियों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार से थी- पाठ्यक्रम 56 प्रतिशत, पाठ्य पुस्तकें 85.2 प्रतिशत, विश्व का मानचित्र 08 प्रतिशत, लाभाविन्त जनसंख्या 66.6 प्रतिशत, चार्ट 75 प्रतिशत, खिलौने 50 प्रतिशत, प्राथमिक विज्ञान किट 42.8 प्रतिशत, गणित किट 39.5 प्रतिशत, पत्र-पत्रिकाएं व समाचार पत्र शून्य प्रतिशत, कक्षा के फर्नीचर 33.8 प्रतिशत से 91.7 प्रतिशत और श्यामपट्ट इत्यादि 83.3 प्रतिशत से 97.7 प्रतिशत विद्यालयों में उपलब्ध सामग्रियाँ थी।

पाठक (1992) ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में “ उत्तर प्रदेश के वाराणसी मण्डल में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण कार्यक्रम का समीक्षात्मक अध्ययन” विषय पर शोध कार्य किया और निष्कर्ष निकाला कि कनिष्ठ और वरिष्ठ स्तर पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लड़कियों का विद्यालयों में नामांकन वाराणसी मण्डल व राज्य दोनों में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुकूल नहीं हैं। वाराणसी मंडल के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सम्पूर्ण जनसंख्या एवं पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर से बहुत कम है एवं महिला साक्षरता दर भी राज्य की महिला साक्षरता दर से बहुत निम्न है। कनिष्ठ और वरिष्ठ स्तर पर वाराणसी मण्डल में विद्यालयों की सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य की अपेक्षा कम है, कनिष्ठ बेसिक स्तर पर वाराणसी मंडल में नामांकन अनुपात राज्य के नामांकन अनुपात से कम है। मंडल के सभी पाँच जिलों में नामांकन अनुपात राज्य के औसत से कम है। वरिष्ठ बेसिक शिक्षा स्तर पर यह अनुपात उत्तर प्रदेश के नामांकन अनुपात से अधिक है लेकिन वाराणसी, गाजीपुर व मिर्जापुर जिलों में वरिष्ठ बेसिक शिक्षा स्तर पर नामांकन अनुपात में स्थिति दयनीय है।

उपरोक्त शोध-साहित्य के सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर गम्भीर शोध कार्य हुए हैं, लेकिन सर्वशिक्षा अभियान जो कि प्राथमिक शिक्षा के

सार्वभौमिकरण के सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रयास है तथा इस प्रयास का समालोचनात्मक अध्ययन भी शोध के लिए विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। विभिन्न शोध साहित्य के सर्वेक्षणों के अध्ययन के उपरान्त ही शोधार्थी ने गोवा राज्य के सत्तरी तालुका के वालपोई कस्बे के प्राथमिक विद्यालयों में चलाए जा रहे सर्वशिक्षा अभियान का समालोचनात्मक अध्ययन करने का निर्णय लिया।

शोध साहित्य सर्वेक्षण का उद्देश्य

एक शोधार्थी के लिए शोध साहित्य सर्वेक्षण के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं:-

क) शोधविधि को समझना:-

शोधविधि को समझने के लिए पूर्व अनुसंधानों या शोधों का अध्ययन किया जाता है जिससे किसी अनुसंधान या शोध में प्रयोग में लाये गये घटकों और विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ख) पुनरावृत्ति से दूर रहना:-

सम्बन्धित शोधों के सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान के चरों को परिभाषित करने एवं उन्हें सक्रियात्मक रूप से परिवर्तित करने की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी विचार प्रकट होते हैं। इसके अलावा शोधकर्ता अपने प्रयासों में द्विगुणन या पुनरावृत्ति की सम्भावना से मुक्त रह सकता है।

ग) सकारात्मक अध्ययन विधि, समस्या व विषय चुनाव में सहायक:-

शिक्षा के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें शोध की आवश्यकता पड़ती है। इन क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने हेतु सतत् प्रयास होने पर भी कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों या प्रश्नों की दृष्टि से कई अनुक्षेत्र अभी तक अछूते पड़े हुए हैं। शोध हेतु शोधार्थी द्वारा किया जाने वाला सम्बन्धित अध्ययनों का सर्वेक्षण, शोधार्थी द्वारा किये जाने वाले शोध के लिये सकारात्मक अध्ययन विधियों को अपनाने के लिए एवं उस शोध विशेष समस्या व विषय चुनाव में सहायक भूमिका निभाता है।

घ) पूर्व शोधों व अनुसंधानों के बारे में जानकारी एकत्रित करना:-

किसी भी शोध कार्य के लिये पूर्व में किये गये शोधों व अनुसंधानों का गहन अध्ययन करने से नवीन शोध क्षेत्रों व व्यवस्थित अनुसन्धानों के लिये मार्ग प्रशस्त होते हैं। इसलिये शोधकर्ता के लिये यह अतिआवश्यक है कि वह पूर्व में किये गये शोधों व अनुसंधानों का अति गहराई व निष्पक्षता से अध्ययन करे।

ड) शोध दिशा निर्धारण में सहायक:-

शोध साहित्य सर्वेक्षण सम्बन्धित शोधों या अनुसंधानों का अध्ययन पूर्व-अन्वेषित शोध परिणामों की व्याख्या, विकल्पात्मक व्याख्याओं में से चुनाव करने अथवा उपयोगी अनुप्रयोग का संकेत प्राप्त करने की दृष्टि से कई दिशाओं के बारे में सुझाव ग्रहण कर सकता है। जैसा कि टकमैन ने कहा है, “किसी क्षेत्र विशेष में हुए शोधों को सारंकित करने तथा अद्यतन बनाए रहने का बहुत बड़ा महत्व है। यह प्रक्रिया संबंधित गोचरों के बारे में प्राप्त निष्कर्षों को विज्ञापित करती है तथा यह भी इंगित करती है कि उन्हें व्यवहारों में किस प्रकार लागू किया जा सकता है।”²

वस्तुतः किसी समस्या का सार्थक रूप में समीक्षात्मक या वर्णनात्मक सर्वेक्षण सम्भव सम्बन्धों को प्रत्याशित करने या उन्हें उद्घाटित या प्रदर्शित करने में शोधकर्ता की मूल्यावान सम्पत्ति का रूप धारण कर लेता है। इसके माध्यम से उपयोगी परिभाषाओं के गठन, सम्भव परिकल्पनाओं के निरूपण तथा मौजूदा शोध को निश्चित स्वरूप, गति एवं दिशा प्रदान करने में मदद मिलती है।

शोध साहित्य सर्वेक्षण का महत्व

सम्बन्धित अध्ययनों के सर्वेक्षण का औचित्य विशेषतः इसलिये है कि शोधकर्ता को इसके माध्यम से अपने अभीष्ट अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत अर्थपूर्ण प्रश्न की पहचान करने हेतु एक ठोस व वस्तुनिष्ठ आधार प्राप्त होता है। इसका सर्वाधिक महत्व इस दृष्टि से भी है कि शोधार्थी एक पूर्वान्वेषित अनुसंधान क्षेत्र या किसी विषय पर पहले से किये गये शोध द्वारा प्राप्त उत्तर को पुनः शोध का विषय बनाने की दशा में पुनरावृत्ति से बच जाता है। इससे शोधार्थी के बहुमूल्य समय, धन एवं श्रम की बचत होती है। ब्रूस. डब्ल्यू. टकमैन ने इंगित किया है कि सम्बन्धित अध्ययनों के सर्वेक्षण द्वारा अधोलिखित तथ्यों की विशेष रूप से जानकारी मिलती है-

क) किसी पूर्व-अन्वेषित क्षेत्र में शोधों के तहत ऐसे चरों के बारे में संकेत प्राप्त होते हैं जिन्हें महत्वपूर्ण या महत्वहीन प्रमाणित किया जा चुका है।

ख) पूर्व सम्पादित कार्यों तथा ऐसे अन्य कार्य जिन्हें सार्थक ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है या लागू किया जा सकता है, सूचना प्राप्त होती है।

ग) किसी क्षेत्र विशेष के तहत निष्कर्षों एवं प्रयोज्यताओं की दृष्टि से सम्पन्न कार्यों की यथास्थिति का पता लगता है।

घ) अध्ययन के लिए चयनित चरों के मध्य सम्बन्धों एवं उनके निहितार्थों तथा ऐसे चरों जिनके बारे में परिकल्पनाएं निरूपित करनी हैं, जानकारी प्राप्त होती है।

शोध सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के स्रोत

शोधकर्ता को अपनी सामग्री एकत्र करने के लिए पुस्तकालय का प्रयोग करना आवश्यक होता है क्योंकि पुस्तकालय प्रत्येक विषयों की पुस्तकों का संग्रह रखते हैं। शोधार्थी अपने शोध-विषय के विस्तृत व गहन अध्ययन के लिये जब आगे बढ़ता है तो उसे अपने विषय से सम्बन्धित अधिक से अधिक सामग्री का अध्ययन करना होता है। इस साहित्य को एकत्र करने के लिए शोधार्थी के सामने अनेक स्रोत होते हैं जिन्हें मूलतः चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

क) **मौलिक सामग्री:-** मौलिक सामग्री से तात्पर्य उस सामग्री से है जो मूलरूप में, चाहे वे किसी भी विधा से सम्बन्धित हों, स्वतन्त्र अनुसन्धान या शोध या किसी द्वारा लिखी गई हो। इस प्रकार की कई रचनाओं के बारे में शोधार्थी प्रकाशन समूह, लेखक व प्रकाशन वर्ष इत्यादि के माध्यम से जानकारी जुटाता है। मौलिक सामग्री उत्कृष्ट होती है तथा इसे पाठ्यक्रमों में रखा जाता है, अतः इनके कई-कई संस्करण निकाले जाते हैं।

ख) **अनूदित सामग्री:-** शोध या अनुसन्धानात्मक कार्यों व उनके परिणामों को अधिक से अधिक फलदायी बनाने के लिए उनका अनुवाद कई-कई भाषाओं में किया जाता है। इस प्रकार की सामग्री अनूदित सामग्री की श्रेणी में सम्मिलित की जाती है। किसी भी शोध में अनूदित सामग्री का शोधार्थी के लिए बहुत महत्व है क्योंकि इसके माध्यम से किसी अन्य के विचारों को अपनी जानने वाली सरल भाषा में अध्ययन करने व समझने का अवसर प्राप्त होता है।

ग) **लिखित सामग्री:-** लिखित सामग्री को मौलिक व अनूदित सामग्री की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की सूचनाएं जैसे सैंकड़ों पत्र-पत्रिकाएं, डायरी, हस्तलिखित व अप्रकाशित ग्रन्थ आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार की सामग्री का अध्ययन करने के लिए शोधार्थी का अध्ययनशील होना अति आवश्यक है। अध्ययनशील शोधार्थी ही अपने विषय के अनुरूप उत्कृष्ट सामग्री का चयन और संकलन कर सकता है और अपने शोध को मौलिक, आदर्श और नवीन बना सकता है।

घ) **मौखिक सामग्री:-** मौखिक सामग्री व्यक्ति केंद्रित होती है। यह क्षेत्र सर्वेक्षण, प्रश्नावली या आपसी बातचीत पर आधारित होती है। इससे अक्सर ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं जो लिखित या प्रकाशित अवस्था में उपलब्ध नहीं होती हैं। व्यक्तियों से साक्षात्कार या पत्राचार के

माध्यम से जब शोधार्थी सामग्री संकलित करता है तो यह केवल पुस्तकीय नहीं होती, उसमें मौलिकता और नवीनता होती है।

शोध सम्बन्धी सामग्री का वर्गीकरण

परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरते हुए जब शोध सामग्री एकत्रित हो जाती है तब उसे शोध विषय और उससे सम्बन्धित शोधदृष्टि को ध्यान में रखकर व्यवस्थित ढंग से संयोजित करना होता है। संयोजन का यह कार्य शोध प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और यह शोध विषय के अनुरूप होता है जिसे सादृश्य कहा जाता है, अर्थात् शोध विषय के सदृश या अनुकूल होना। सामग्री का संयोजन ऐसा होना चाहिए की सम्पूर्ण रूपरेखा के साथ उसकी निरन्तरता बनी रहे, इसे सम्बन्ध कहा जाता है, अर्थात् पूर्ण रूपरेखा के साथ सामग्री का सम्बन्ध बना रहे। इस प्रकार संकलित सामग्री अथवा तथ्यों को सादृश्य और सम्बन्ध की दृष्टि से वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है।

सामग्री के वर्गीकरण के माध्यम से शोध-प्रबन्ध को व्यवस्थित ढंग से लिखने में मदद मिलती है और शोधार्थी को सामग्री का विश्लेषण करने और विश्लेषण के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता मिलती है। संक्षेप में, शोध संबंधित सर्वेक्षण साहित्य को पीएच.डी. शोधों, एम.फिल. शोधों, अनुच्छेदों, रिपोर्टों, संस्मरणों, गजेटियर, व्यक्ति व व्यक्तियों से साक्षात्कार, भेंट व पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों व शोधार्थी द्वारा स्वयं क्षेत्र में जाकर संकलित किये गये तथ्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

शोध सम्बन्धी साहित्य सर्वेक्षण का अवलोकन

शोध-सम्बन्धी साहित्य सर्वेक्षण से गुजरने के बाद शोधार्थी के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह शोधकार्य को सुसज्जित व पूर्ण करने हेतु किये गये अध्ययन का कम से कम एक बार अवलोकन करे जिससे शोधकार्य को उपलब्ध व संकलित साहित्य सामग्री के आधार पर अधिक से अधिक व्यवस्थित किया जा सके जिससे शोधकार्य में जीवन्तता बनी रहे जो प्रत्येक शोध या अनुसन्धान में गुणवत्ता को दशार्ती है।

निष्कर्ष

शोध सम्बन्धी साहित्य सर्वेक्षण से किसी भी शोध कार्य को अधिक से अधिक गुणात्मक बनाने में सहायता मिलती है जो शोध या अनुसन्धान को मौलिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शोधार्थी को शोध कार्य की आवश्यकतानुसार व अपने स्वयं की ज्ञान वृद्धि हेतु शोध-सम्बन्धी साहित्य का अनिवार्य रूप से अध्ययन करना चाहिए।

संदर्भ-ग्रन्थ-सूची

- श्याम आनन्द, "शिक्षा शास्त्र" (आगरा, उपकार प्रकाशन, प्रथम संस्करण-2011), पृष्ठ-368
श्याम आनन्द, "शिक्षा शास्त्र" (आगरा, उपकार प्रकाशन, प्रथम संस्करण-2011), पृष्ठ-299
टूमैन, "शिक्षा शास्त्र" (नई दिल्ली, दानिका प्रकाशक कम्पनी, प्रथम संस्करण-2010), पृष्ठ-154
टूमैन, "शिक्षा शास्त्र" (नई दिल्ली, दानिका प्रकाशक कम्पनी, प्रथम संस्करण-2010), पृष्ठ-247